IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT

The 11th April, 1984

No. 59/Drg. 3-L.—Where as it appears to the Governor of Haryana that land specified below is needed by the Government, at the public expenses, for a public purpose, namely, i. e., for canalization of Chutang Nallah from R. D. 17,000 to 81,425 in villages Kharak Gadian, Popra, Mohammad Khera and Ganga Theri and Tehsil Safidon and village Khanda, Alewa, Baghana, Bahri Mundh and thal in tehsil Jind, district Jind.

It is hereby notified that land in the locality described below is required for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, for information of all to whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana hereby authorises the officers of the Irrigation Department with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within a period of thirty days of the publication of this notification file objections in writing before the Land Acquisition Collector, Public Works Department (Irrigation Branch), Ambala, City.

Plans of the land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector, Public Works Department (Irrigation Branch), Ambala City and the XEN, Jind Drainage Division, Jind.

SPECIFICATIONS

Serial No.	District	Tehsil	Village	Hadbast No	Area in Acre	Killa No./Boundary
1	2	3	4	5	6	7
						A strip of land measuring 64,425 feet in length and varying in widths passing through full/parts of Killa No. as shown below and as demarcated at site.
1	Jind	Safidon	Kharak Gadian	61	0.11	2 — 19/1-2, 20, 21, 22
2	Do	Saftdon	Popra	58	7.66	7 — 2, 9, 10, 11, 20, 21
						9 — 5, 6, 15, 16, 24, 25
						10 — 4
						26 — , 7, 14, 17, 24
						27 — 3, 8, 13, 18, 19, 22
						49 — 2, 9, 11, 12, 20
						50 — 16, 25
						51 — 5, 6, 15, 16, 25
						24 — 4, 7, 8, 13, 19, 21, 22
						75 — 16, 25
						76 — 1, 10, 11, 20
						99 — 5, 6, 7, 14, 17/1—2, 23, 24
						100 — 3, 8, 13, 18, 23
						116 — 3, 13, 19, 22, 8
						117 — 25
						118 — 2, 9, 11, 12, 20, 21

1	2	3	4	5	6	7
2—*concld*	Jind—*concld*	Safidon—*concld*	Popra—*concld*	58—*concld*	7·66—*concld*	134 5, 6, 7, 14, 15, 23, 24
						135 25
						136 3, 8, 9, 12, 20, 21
						152 5, 6, 7, 14, 17, 18, 22, 23
						153 2, 9, 12, 19, 22, 23
						163 3, 8/1, 2, 7, 14, 15, 16
						162 20, 21, 22, 23
						170 10, 11, 12, 19
						171 4, 5, 6
						164 2, 9, 12, 13, 18, 23, 24
						G. M. 206, 198, 283, 205, 616, 246, 247, 186, 167, 225
3	Do	Do	Mahamad Khera	92	2.82	5 8/1—2, 12/1—2, 14, 16, 17, 25
						4 21
						15 1, 2, 9, 12, 18, 19, 23, 24
						16 3, 4, 6, 7
						G. M. 65
4	Do	Do	Ganga Theri	56	3·56	11 25
						12 21
						37 5, 6, 15, 16, 25
						38 5, 6, 7, 8, 13, 18, 23
						65 3, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23/1—2, 24
						66 2, 3, 8, 9
						G. M. 131, 216, 438, 199, 209
5	Do	Jind	Khanda	87	13.07	6 24/1—2, 25
						23 4, 5, 6, 7, 14/1—2, 17, 24
						24 3, 4, 12/1—2, 19, 20, 21
						41 6, 15, 16/1—2, 24, 25
						42 1, 10, 11
						43 4, 7, 13, 18, 23
						53 3, 8, 13, 18, 23
						59 3, 8, 9, 12, 19, 22
						74 16, 25
						75 2, 9, 10, 11, 20
						76 5, 6, 7, 14, 17, 18, 23
						86 16, 25
						87 2, 9, 10, 11, 20

1	2	3	4	5	6	7	
						88	4, 7, 8, 13, 18, 19, 22
						96	1, 2, 10/1, 11/1-2, 20, 21, 22
						97	2, 9
						G.M.	118, 119, 344, 355, 155, 113, 151
6	Jind	Jind	Alewa	86	8.61	94	16, 17, 24, 25
						95	5, 6, 15, 16, 25
						131	3, 4, 5, 8, 9, 12, 19, 22
						132	2, 3, 8, 14, 18, 19, 22, 23
						175	2, 9, 12, 19, 21, 22
						176	1/1-2, 10, 11, 20
						177	16, 25
						218	5/1-2, 6, 15, 14, 17, 24
						219	3, 4, 7, 8, 14, 17, 18, 23
						260	3, 9, 12, 19, 22
						261	1, 2, 10, 11
						262	15, 16, 17
						G.M.	1276, 1275, 395, 1260, 305, 393
7	Jind	Jind	Baghana	55	15.10	112	25
						113	21, 22, 23, 24, 25/1-2
						114	21, 22, 23, 24, 25
						115	21, 22, 23, 24, 25
						116	21, 22, 23, 24, 25
						117	14, 15, 16/x-2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
						118	9, 10, 11, 12
						120	1
						121	1, 2, 3, 4, 5,
						122	1, 2, 3, 4, 5
						123	1, 2, 3, 4, 5
						124	1, 2, 3, 4, 5/1-2, 10, 11, 20, 21
						125	5, 6, 15, 16, 25
						138	5, 6, 15, 16, 25
						139	1, 10, 11, 20, 21
						151	1, 10, 11, 20, 21
						152	5, 6, 15, 16, 25
						158	5, 6, 15, 16, 25

1	2	3	4	5	6	7
7—*concld*	Jind—*concld*	Jind—*concld*	Baghana—*concld*	55—*concld*	15.10—*concld*	159 1, 10, 11, 20, 21
						169 1, 10, 11, 20, 21
						170 5, 6, 15, 16
						G.M. 364, 651, 619, 361, 646, 354, 356, 138, 343, 191, 190, 345
8	Jind	Jind	Bhari	65	10.82	90 25
						91 21, 22, 23, 24, 25
						92 21, 22, 23, 24, 25
						93 21, 22, 23, 24, 25
						94 21, 22, 23, 24, 25
						95 21, 22, 23, 24, 25/1-2, 5, 6, 15, 16/1-2
						96 1, 10, 11, 20, 21
						105 1
						106 1, 2, 3, 4, 5
						107 1, 2, 3, 4, 5
						108 1, 2, 3, 4, 5
						109 1, 2, 3, 4, 5
						110 1, 2, 3, 4, 5
						111 3, 4, 5, 7, 8, 9
						74 16, 17, 21, 22/1-2, 23/1-2, 24, 25
						75 13, 14, 15, 16, 17, 18/1-2, 19/1-2, 21, 22, 23
						76 11, 12/1-2, 13/1-2, 20
						73 25
						80 3, 4, 5, 7, 8/1-2, 9, 10, 11/1-2, 12, 13, 20
						81 15, 16, 17, 24, 18/1-2, 23, 21, 22
						79 1
						G.M. 420, 419, 163, 431, 226, 437, 35, 164
9.	Jind	Jind	Mundh	67	6.93	1 21, 22, 23
						3 1, 2, 10
						4 6, 14, 15, 17, 18, 23
						6 3, 8, 9, 11, 12, 20
						5 16, 17, 23, 24
						14 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23
						20 2, 3, 8, 9, 12/1-2, 13, 18, 19, 22, 23
						24 2, 3, 8, 12, 9, 13, 18, 19, 22, 23

1	2	3	4	5	6	7	
9— *concld*	Jind— *concld*	Jind— *concld*	Mundh— *concld*	67— *concld*	6.93— *concld*	38	2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23
						47	2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23
						55	2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23
						62	2, 3, 8, 9, 12/1-2, 11/2, 13, 19, 20/1-2, 21
						65	4, 5, 7, 8, 9, 13, 14
						G.M.	187, 342, 86, 115, 90, 92, 308, 107, 110, 111, 112, 13
10.	Jind	Jind	Thal	68	3.48	3	17, 24/1-2, 25
						19	3, 4/1-2, 7, 8/1-2-3, 2/1-2, 10, 9/1-2, 11, 12, 13, 14, 20, 21
						18	6, 15, 16, 25
						23	3, 4, 5/1-2, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18
						45	6, 7, 8, 13/1-2, 14/1-2, 15/1-2-3, 16, 18/1-2, 21, 22, 23/1-2
						46	1/1-2, 2, 10, 11, 20
						22	10, 19, 20/1-2, 21, 22
						49	1
						50	5, 6, 7, 13, 14, 18, 19, 22
						70	14, 15, 17, 18, 22
						71	2, 9, 10, 11
						G.M.	162, 161, 160, 106, 197

By the order of the Governor of Haryana.

H. C. KAUSHIK,
Superintending Engineer,
Hissar Drainage Circle, Hissar.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 30 मार्च, 1984

सं० ओ०वि०/यमुना/249-63/13497.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० एस. के. प्रोजैक्ट, मुकर्जी पार्क, जगाधरी, के श्रमिक श्री राम कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए, अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958

द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री राज कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि/सोनीपत/38-84/13530.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० हरियाणा इलैक्ट्रो स्टील लि०, खरखौदी, सोनीपत के श्रमिक श्री बेद राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री बेद राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ.वि./हिसार/137-83/13537.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि 1. नियंत्रक, हरियाणा रोडवेज, चण्डीगढ़, 2. महा प्रबन्धक हरियाणा रोडवेज, सिरसा के श्रमिक श्री सुरेश कुमार शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ओ.(ई)-श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है: —

क्या श्री सुरेश कुमार शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./हिसार/134-83/13545.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, की राये है कि हरियाणा राज्य परिवहन, सिरसा, के श्रमिक श्री ईश्वर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई)श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री ईश्वर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?